कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 354/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 09.09.2026

प्रेस नोट, दिनांक–09.09.2026
थाना–सरायमीर, जनपद–आजमगढ़

दिनांक 08.09.2026 को थाना सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत कुँवर नदी किनारे मिले प्रतिबंधित पशु के मांस की घटना का पुलिस ने किया 24 घण्टे के अन्दर किया खुलासा— पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक अभियुक्त को किया घायल अवस्था में किया गया गिरफ्तार।

आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली—अवैध तमंचा-कारतूस के साथ गोवंश वध में प्रयुक्त चापड़, 02 चाकू व लकड़ी का ठीहा बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.09.2026 को थाना सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सदरपुर (शाहपुर) में कुँवर नदी के किनारे स्थित खेत में दो प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष बरामद हुए थे। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अवशेषों का परीक्षण कर आवश्यक नमूने सुरक्षित किये गये। प्रकरण में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 228/2026 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना के शीघ्र अनावरण एवं संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की 03 टीमों का गठन कर लगातार पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी।

पुलिस मुठभेड़ का विवरण–

इसी क्रम में दिनांक 09.09.2026 की रात्रि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त घटना में शामिल कुछ व्यक्ति प्रतिबंधित पशुओं के वध में प्रयुक्त हथियार लेकर सदरपुर (शाहपुर) से कादनपट्टी की ओर जा रहे हैं। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सरायमीर मय पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर चारों आरोपी भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा किये जाने पर तीन आरोपी अंधेरे, खेतों एवं भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहे, जबकि एक आरोपी को पुलिस टीम द्वारा घेर लिया गया। अपने आपको पुलिस टीम से घिरता हुआ देखकर उक्त आरोपी द्वारा पुलिस पार्टी को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को आत्मसमर्पण करने हेतु चेतावनी दी गई, लेकिन आरोपी द्वारा पुनः फायरिंग का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस द्वारा आरोपी को घायलावस्था में गिरफ्तार कर तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया।

बरामदगी–

गिरफ्तार आरोपी के कब्जे/निशानदेही से निम्न बरामदगी की गई—

1. 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर मय 01 फायरशुदा खोखा कारतूस।
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस।
3. 01 अदद चापड़।
4. 02 अदद छुरा।

5. 01 अदद लकड़ी का गोलाकार ठीहा।

➡ घटनास्थल से फील्ड यूनिट द्वारा खूनआलूदा व सादा मिट्टी, हैण्ड स्वाब एवं अन्य आवश्यक फॉरेन्सिक साक्ष्य संकलित किये गये।

घायल/गिरफ्तार आरोपी का विवरण–

01. मो0 साबिर पुत्र स्व0 शकील, निवासी शाहपुर (सदरपुर), थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, स्थायी पता दलालघाट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।

पूछताछ का विवरण–

घायल/गिरफ्तार आरोपी मो0 साबिर पुत्र स्व0 शकील से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दिनांक 08.09.2026 को वह अपने साथी सैफ पुत्र शमीम, आजम पुत्र इरफान उर्फ पप्पू एवं असजद पुत्र मोकिम, सभी निवासीगण शाहपुर (सदरपुर), थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर कुँवर नदी के किनारे स्थित खेत में गोवंश वध की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया कि घटना में प्रयुक्त चापड़, चाकू एवं लकड़ी का ठीहा आदि सामान उनके द्वारा ही मौके पर ले जाया गया था।आरोपी द्वारा पूछताछ में अपने साथियों के नाम एवं घटना में उनकी संलिप्तता के संबंध में जानकारी दी गई है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश एवं संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 229/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/4/25/27 आयुध अधिनियम, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

मो0 साबिर पुत्र स्व0 शकील का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 228/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 229/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/4/25/27 आयुध अधिनियम, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार चौबे, थाना सरायमीर।
2. उ0नि0 हरिकेश शर्मा।
3. हे0का0 विजय तिवारी।
4. हे0का0 अम्बुज तिवारी।
5. का0 विजय प्रसाद गौड़।
6. रि0का0 संदीप जायसवाल।
7. म0का0 अंजू यादव।